राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर।

कमांक:एफ. 4(1)पोषा/विविध/ICDS/2012/ 44131-468 जयपुर, दिनांक: 28-5-12

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषयः— पूरक पोषाहार आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समय—समय पर विभिन्न बाल विकास परियेाजना अधिकारियों एवं उप निदेशको द्वारा रेडी टू ईट पूरक पोषाहार आपूर्ति एंव वितरण के विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत आ रही समस्याऐ अंकित करते हुए पोषाहार आपूर्ति के संबंध में व्यवधान बाबत मुख्यालय से पत्र व्यवहार किया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूहों द्वारा पोषाहार आपूर्ति करने में असफल होना अथवा गुणवत्ता के अनुरूप पूरक पोषाहार की आपूर्ति नहीं किया जाना दर्शाया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 07 अक्टूबर, 2004 एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 24.02.2009 के अन्तर्गत समस्त आंगनबाडी केन्द्रों पर वर्ष में न्यूनतम 300 दिवस पूरक पोषाहार की आपूर्ति एवं वितरण अनिवार्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णय दिनांक 22.04.2009 के अन्तर्गत पूरक पोषाहार के निर्धारित न्यूट्रीशनल एवं फिडिंग मापदण्डों के अनुसार पूरक पोषाहार आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के भी निर्देश है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश की पालना में स्वयं सहायता समूहों द्वारा आर.टी.ई. पूरक पोषाहार की आपूर्ति करने में असफल होने पर अस्थाई तोर पर विकल्प के रूप में आपके अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों की मांग निदेशालय को तत्काल प्रेषित की जावें। यह भी सुनिश्चित किया जावें कि पूरक पोषाहार की आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो और माननीय उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2004 के निर्णय की अवमानना नहीं हो।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर।

(1) प्रतिलिपि-
कम्प्यूटर प्रोग्रामर को- वेबसाईट पर
अपलोडहेतु.